

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021—पौष 9, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-2-18-2021-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पर्यावरण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 10 अप्रैल 2013, अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 24 दिसम्बर 2014, अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 06 अक्टूबर 2015, अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 28 फरवरी 2017 एवं अधिसूचना क्र. एफ-2-01-2020-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-05, दिनांक 31 जुलाई 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यावरण विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.11	नई इकाईयों हेतु स्थापना सम्मति: जल अधिनियम 1974 की धारा 25 व वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी जाने वाली.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(ब) मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.		उप सचिव, पर्यावरण विभाग.		प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग.
17.12	नई इकाईयों हेतु उत्पादन सम्मति: जल अधिनियम 1974 की धारा 25 व वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी जाने वाली. (ब) मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.13	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रथम प्राधिकार. (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले. (ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.14	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रथम प्राधिकार. (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले. (ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.15	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 प्रथम प्राधिकार. (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले. (ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
	(ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.		उप सचिव, पर्यावरण विभाग.		प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.16	बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम 2021 के अन्तर्गत बैटरी डीलर्स का प्रथम पंजीकरण.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.17	ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रथम प्राधिकार (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले. (ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. उप सचिव, पर्यावरण विभाग.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग.
17.18	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अन्तर्गत प्रथम पंजीयन. (अ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले. (ब) मुख्यालय द्वारा दिये जाने वाले.	क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. उप सचिव, पर्यावरण विभाग.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.